भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 77
उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग संस्थान

†77. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सम्पूर्ण देश में बड़ी संख्या में प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग संस्थान बिना किसी प्रत्यय-पत्र के चल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग संस्थान प्रवेश परीक्षा में रैंक सुनिश्चित कराने के नाम पर धन कमाते हुए प्रायः जनसाधारण को लूटते हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि निजी संस्थानों द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग क्लासेज चलाने के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों के स्थान का उपयोग न किया जाए;
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राज्य विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश हेतु कोचिंग प्रदान करे;
(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उपाय किए जा रहे हैं कि ऐसे कोचिंग संस्थानों को परीक्षा में सफल बच्चों का अपने संस्थानों के व्यापारिक लाभ में उपयोग करने से रोका जाए; और
(च) क्या सरकार के पास ऐसे कोचिंग संस्थानों के संबंध में कोई आंकड़ें उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): किसी भी निर्धारित नीति या विनियमन के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि; ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूलने के उदाहरण; वादा या गारंटी देना और इन केंद्रों द्वारा अपनाए जा रहे कई अन्य कदाचारों, को ध्यान में रखते हुए; उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। इसके बाद दिनांक 16.07.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु एक और पत्र भेजा गया है। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कोचिंग केंद्रों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Guideliens_Coaching_Centres_en.pdf पर उपलब्ध हैं।

इन दिशा-निर्देशों में कई प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें कोचिंग केन्द्रों को परिभाषित करना, पंजीकरण के लिए शर्तें और आवश्यक दस्तावेज विनिर्दिष्ट करना; कोचिंग केन्द्रों की स्थापना के

लिए बुनियादी ढांचे की पूर्वापेक्षाओं को रेखांकित करना के साथ यह भी सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रमों/पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली फीस उचित और युक्तिसंगत होगी; किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम के दौरान शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी; आसान निकास नीति और आनुपातिक आधार पर शुल्क की वापसी; संस्थानों/स्कूलों में भी पढ़ रहे छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाओं उनके संस्थानों/स्कूलों के समय के दौरान आयोजित नहीं की जाएंगी ताकि ऐसे संस्थानों/स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति अप्रभावित रहे और डमी स्कूलों से भी बचा जा सके। इन दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि कोई भी कोचिंग केंद्र कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कोचिंग केन्द्रों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी; शिकायत तंत्र शुरू करना और उसका निपटारा; दंड; पंजीकरण रद्द करने और अपील आदि की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

शिक्षा मंत्रालय ने जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एसएटीएचईई प्लेटफॉर्म शुरू किया है, साथ ही छात्रों के लिए एक ऑनलाइन मूल्यांकन मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया है। यह वितरण के लिए वेब प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन, यू ट्यूब लाइव सत्र और डीटीएच चैनलों का लाभ प्रदान करता है। शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न टॉपिकों और विषयों पर 10,000 घंटे से अधिक की शिक्षण सामग्री उपलब्ध है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने और विनियमित करने का अधिकार है जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई की है। इस संबंध में, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए विभिन्न कोचिंग सेंटरों को 46 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 23 कोचिंग संस्थानों पर 72 लाख 60 हज़ार का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।

कोचिंग क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सीसीपीए ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे का समाधान करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश 2024 का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को कोचिंग केंद्रों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली भ्रामक मार्केटिंग प्रथाओं से बचाना है।

इन सीसीपीए दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि कोचिंग में शामिल कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी की लिखित सहमति के बिना विज्ञापन में सफल अभ्यर्थी का नाम, फोटो, प्रशंसापत्र या वीडियो का उपयोग नहीं करेगा। ये दिशा-निर्देश उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/latestnews/Guidelines%20for%20Prevention%20of%20Misleading%20Advertisement%20in%20Coaching%20Sector%2C%202024.pdf पर उपलब्ध हैं।

*****